रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 420] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 29, 2008/श्रावण 7, 1930
No. 420] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 29, 2008/SRAVANA 7, 1930

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2008

सा.का.नि. 559(अ).—केन्द्रीय सरकार, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 63 की उप-धारा (2) के खंड (ड्) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सदस्य सचिव के पद हेतु सेवा एवं भर्ती के निबंधन और शर्तों का विनियमन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ.—(1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सदस्य सचिव, सेवा एवं भर्ती के निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उस पद से संबंधित वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से अनुबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षणिक योग्यताएं आदि.—उक्त पद से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यताएं एवं अन्य मामले वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. सेवा की शर्तें.—केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सदस्य सचिव की सेवा के वेतन, भत्तों, छुट्टी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता की आयु, सेवानिवृत्ति लाभ, चिकित्सा सुविधाएं संबंधी मामलों की शर्तें एवं सेवा की अन्य शर्तें, ऐसे नियमों एवं विनियमों के अनुसार विनियमित होंगी जैसाकि उन स्थानों पर नियुक्त सदृश वेतनमान के समूह 'क' से संबंधित केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए निवर्तमान समय पर लागू है।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. नियमों में छूट देने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनूसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के जोड़े गए वर्ष का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सदस्य सचिव	एक (2008)	सामान्य केन्द्रीय सेवा	16,400-450-20,000/- रु.	चयन	नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षणिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति : क्या सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा है और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामलों में जिस ग्रेड में पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है
(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	**प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या सरकारी अनुसंधान संस्थानों या स्वायत्तशासी या सांविधिक निकाय के अंतर्गत ऐसे अधिकारी,– (क)(i) जिसने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया है, या (ii) 14,300-18,300/- के या मूल संवर्ग या विभाग में वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के उपरांत दिए गए ग्रेड में 4 वर्षों की नियमित सेवा की है; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो– (i) पर्यावरण से संबद्ध फिजिकल सांइस में स्नातकोत्तर डिग्री या मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय या समकक्ष से पर्यावरण से संबद्ध किसी विधा में इंजीनियरिंग में डिग्री)

(12)
(ii) सरकारी/विभाग/संस्था या केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों/सरकारी अनुसंधान संस्थाओं या स्वायत्तशासी या सांविधिक निकाय, प्रदूषण नियंत्रण के वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग या प्रबंधन पहलुओं से संबंधित मामलों में प्रशासनिक या प्रबंधन स्तर पर 16 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव । **वांछनीय :** पर्यावरण से संबंधित फिजिकल सांइस में पी.एच.डी. या मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय या समकक्ष से पर्यावरण से संबंधित विद्या में इंजीनियरिंग में एम. टेक । **टिप्पण** 1.—केन्द्रीय सरकार के अनुरूप अथवा किसी अन्य विभाग या संगठन में इस नियुक्ति के तुरंत पूर्व अन्य बाह्य संवर्ग पदों पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्य रूप से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण** 2.—प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन-पत्र की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 54 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो इसका गठन क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(13)	(14)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए-12018/2/2006-सी पी डब्ल्यू]

आर. के. वैश, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2008

G.S.R. 559(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 63 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, (6 of 1974), the Central Government, in consultation with the Central Pollution Control Board, hereby makes the following rules regulating the terms and conditions of service and recruitment to the post of the Member-Secretary to the Central Pollution Control Board, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Pollution Control Board (Member-Secretary, Terms and Conditions of Service and Recruitment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—Method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Conditions of service.—The conditions of service of the Member-Secretary to the Central Pollution Control Board in the matters of pay, allowances, leave, provident fund, age of superannuation, retirement benefits, medical facilities and other conditions of service, shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are for the time being applicable to officers and employees of the Central Government belonging to Group A of the corresponding scales of pay stationed at those places.

5. Disqualification.— No Person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person or the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Schedule Caste, Schedule Tribe, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6	
Member Secretary	One (2008)	General Central Services	Rs. 16400-450-20000	Selection	No	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputtation or absorption and persentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
By deputation including short-term contract	**Deputation :** Officers of the Central or State Government or public sector undertaking or University or Government research institution or autonomous or statutory body— (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with four years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs.14300-18300 or equivalent in the parent cadre or department, and (b) possessing the following qualification and experience: (i) Master's degree in Physical Science relating to environment or Degree in Engineering in a discipline relating to environment from a recognized institute or university or equivalent; and (ii) Sixteen years experience in government department/institution or central public sector Undertaking or University/government research institution or autonomous or statutory body at the administrative or managerial level with practical experience in matter relating to scientific,

(11)	(12)
	engineering or management aspects of pollution control. **Desirable :** Ph.D in Physical Science relating to Environment or M.Tech in Engineering in a discipline relating to Environment from a recognized institute or University or equivalent. **Note 1.**—Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department or the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2.**—The maximum age limit of appointment by deputation shall be not exceeding fifty four years as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Not applicable	Not applicable

[F. No. A-12018/2/2006-CPW]
R. K. VAISH, Jt. Secy.

2850 GI/08-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.